

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./88/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/144

1. अर्जुन पुत्र मकराम जाति रेबारी निवासी माता जी का खेड़ा चावण्डिया तहसील भिनाय जिला अजमेर फौत जरिये वारिसान-
1/1 उछबा पत्नि अर्जुन
1/2 सुरेश पुत्र अर्जुन
2. गणेश पुत्र मकराम जाति रेबारी निवासी माता जी का खेड़ा चावण्डिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. चेना पुत्र पालू जाति रेबारी निवासी माता जी का खेड़ा चावण्डिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. बीरभान पुत्र पालू जाति रेबारी निवासी माता जी का खेड़ा चावण्डिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. मूला पुत्र पालू जाति रेबारी निवासी माता जी का खेड़ा चावण्डिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. रतना पुत्र पालू जाति रेबारी निवासी माता जी का खेड़ा चावण्डिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. हनुमान पुत्र पालू जाति रेबारी निवासी माता जी का खेड़ा चावण्डिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-06.06.2025

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री मोहम्मद युसुफ

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा चावण्डिया पटवार क्षेत्र चावण्डिया भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंगा के खाता सं0 268 में दर्ज खसरा सं. 1925/416 रकबा 0.40 कुल किता 01 कुल रकबा 0.40 हैक्ट जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब देते हुए, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजीयात खातेदारी बताते हुए, पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी अंकित की गई कि, प्रार्थीगण द्वारा पड़ोसियों से सीमा को लेकर विवाद होना बताया गया है। अतः प्रकरण में पड़ोसियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण



उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त बताते हुए, प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। दौराने बहस पैरोकार संरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम चावण्डियां के खाता संख्या 268 संवत 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा चावण्डिया पटवार क्षेत्र चावण्डिया भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंगा के खाता सं0 268 में दर्ज खसरा सं. 1925/416 रकबा 0.40 कुल किता 01 कुल रकबा 0.40 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/- रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर।